न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

कानूनी साक्षरता हटाये दुर्बलता

लोक उपयोगी

सेवाओं के लिए स्थायी एवं निरंतर

लोक अदालत

हिमाचल प्रदेश

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला

स्थायी लोक अदालत क्या है ?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। स्थायी लोक अदालत द्वारा जनहित सेवाओं से सम्बंधित विवादों का निवारण समझौते के आधार पर किया जाता है। जनहित सेवाओं से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपने विवादों के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है।

स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष और सदस्य कौन होता है ?

1. हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम को स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो की एक जिला न्यायाधीश के पद का न्यायिक अधिकारी होता है।

2. इसके अतिरिक्त दो अन्य सस्दय भी नियुक्त किए गए हैं जिनको जनहित सेवाओं के बारे में अच्छे से पूर्ण अनुभव होता है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

स्थायी लोक अदालत में किस प्रकार के जनहित सेवाओं से संबंधित विवादों का निपटारा होता है?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 A की उपधारा (a) में जनहित सेवाओं के बारे में बताया गया है जिनसे सम्बंधित विवादों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होता है।

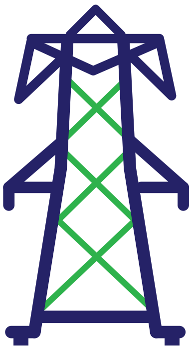

1. यातायात सेवाओं से सम्बंधित विवाद।
2. डाकघर या टेलीफोन सेवाओं से सम्बंधित विवाद।
3. बिजली, प्रकाश या जलसेवा से सम्बंधित विवाद।
4. लोक सफाई व् स्वच्छता प्रणाली से सम्बंधित विवाद।
5. अस्पताल या औषद्यालय में सेवाओं से सम्बंधित विवाद।
6. बीमा सेवाओं से सम्बंधित विवाद।

स्थायी लोक अदालत में विवाद का निपटारा कैसे होता है ?

स्थायी लोक अदालत में जनहित सेवाओं से सम्बंधित विवादों का निपटारा पक्षकारों के आपसी सुलह व् समझौते के आधार पर होता है। स्थायी लोक अदालत में विवाद के निपटारे के लिए पक्षकारों के द्वारा आवेदन करने पर सबसे पहले उनके मध्य उत्तपन्न हुए विवाद को आपसी सुलह व् समझौते के आधार पर सुलझाने का पूर्ण प्रयास किया जाता है।

आपसी सुलह व् समझौता हो जाने के बाद स्थायी लोक अदालत द्वारा अवार्ड (निर्णय) पारित किया जाता है और यह अवार्ड (निर्णय) दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है।

यदि पक्षकारों के मध्य उत्तपन्न हुए विवाद का निवारण आपसी सुलह व् समझौते के आधार से नहीं हो पता तो ऐसे में विवाद का निपटारा विवाद के गुण –अवगुण के आधार पर किया जाता है।

स्थायी लोक अदालत के द्वारा दिया जाने वाला निर्णय कैसा होता है?

स्थायी लोक अदालत के द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड (निर्णय) सिविल न्यायालय की डिक्री की तरह होता है, जो कि विवाद से सम्बंधित पक्षकारों पर अनिवार्य रूप से लागू कराया जाता है और यह अवार्ड विवाद से सम्बंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।

स्थिति लोक अदालत के अवार्ड के विरुद्ध क्या अपील हो सकती है ?

स्थायी लोक अदालत के अवार्ड (निर्णय) के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं दायर की जा सकती है, क्योंकि विवाद का निपटारा विवाद से सम्बंधित पक्षकारों की आपसी सुलह व् समझौते के आधार पर किया जाता है।

स्थायी लोक अदालत का धन संबंधी अधिकार क्षेत्र क्या है ?

स्थायी लोक अदालत का धन संबंधी अधिकार क्षेत्र 25 लाख रुपए तक रुपए तक है।

अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें

शिमला, सिरमौर एवं किन्नौर

- अधयक्ष स्थायी लोक अदालत
  Tel- **0177-2622049,** e-mail: **scc-hp@gov.in**

- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला
  Tel- **0177-2832808,** e-mail: **secy-dlsa-shi-hp@gov.in**

- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरमौर
  Tel- **01702-224749,** e-mail: **secy-dlsa-sir-hp@gov.in**

- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर
  Tel- **01786-223605,** e-mail: **secy-dlsa-kin-hp@gov.in**

धर्मशाला, सोलन एवं चंबा

- अधयक्ष स्थायी लोक अदालत
  Tel- **01892-224381,** e-mail: **dcdrf-kan-hp@gov.in**
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला, कांगड़ा
  Tel- **01892-222370**, e-mail: **secy-dlsa-kan-hp@gov.in**
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन
  Tel- **01792-220713,** e-mail: **secy-dlsa-sol-hp@gov.in**
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा
  Tel: **01899-226309,** e-mail: **secy-dlsa-cha-hp@gov.in**

मंडी, कुल्लू एवं लाहौल – स्पीति

- अधयक्ष स्थायी लोक अदालत
  Tel- **01905-223770,** e-mail: **confo-ma-hp@gov.in**
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी
  Tel- **01905-223428,** e-mail: **secy-dlsa-man-hp@gov.in**
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू और लाहौल – स्पीति जिला
  Tel- **01902-222378,** e-mail: **secy-dlsa-kul-hp@gov.in**

ऊना, बिलासपुर एवं हमीरपुर

- अधयक्ष स्थायी लोक अदालत
  Tel- **01975-225801,** e-mail: **dcdrf-una-hp@gov.in**
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना
  Tel- **01975-225071,** e-mail: **secy-dlsa-una-hp@gov.in**
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर
  Tel: **01978-221452** e-mail: **secy-dlsa-bil-hp@gov.in**
- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर
  Tel- **01972-224399,** e-mail: **secy-dlsa-ham-hp@gov.in**

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

**ब्लॉक नंबर 2, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी,
शिमला, हिमाचल प्रदेश 171009**

e-mail: mslegal-hp@nic.in
दूरभाष: 0177–2623862
फैक्स: 0177–2626962
टोल फ्री: 15100